

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, जयनगर।

पटना, दिनांक-25-3-17

विषय:- “मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय” योजनान्तर्गत नगर पंचायत, जयनगर में हर घर नल का जल उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹460.36099 लाख मात्र में से नगर निकाय को राज्य योजना से अबतक विमुक्त राशि ₹79.24893 लाख मात्र के आवंटन के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2016-17 में 14वें वित्त आयोग के द्वितीय किश्त की विमुक्त राशि के 30 प्रतिशत के समतुल्य राज्य योजना की राशि ₹10.39352 लाख मात्र एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग मद में आवंटित होने वाली अनुमानित राशि के 30 प्रतिशत राशि के समतुल्य राज्य योजना की राशि ₹51.82878 लाख मात्र अर्थात् कुल ₹62.22230 लाख (बासठ लाख बाईस हजार दो सौ तीस रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने हेतु “मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना” प्रारंभ किया गया है। योजना के कार्यान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या- 1287, दिनांक- 25.02.2016 निर्गत किया गया है।

2. विभागीय संकल्प संख्या-1287, दिनांक- 25.02.2016 के कंडिका- 05 (i) के अनुसार नगर निकायों को “मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना” के अंतर्गत निम्नांकित स्रोतों से निधि प्राप्त होगी :-

- (i) 14वें वित्त आयोग की 30 प्रतिशत राशि (स्थानीय नगर निकायों का पूर्णतया हिस्सा)
- (ii) पंचम राज्य वित्त आयोग की 30 प्रतिशत राशि (स्थानीय नगर निकायों को पूर्णतया हिस्सा)
- (iii) हर घर नल जल निश्चय योजना अन्तर्गत उपर्युक्त क्रमांक- (i) और (ii) के योग के समतुल्य राशि, राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना से स्थानीय नगर निकायों को दी जाएगी।



3. "मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय" योजनान्तर्गत नगर पंचायत, जयनगर में हर घर नल का जल उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभागीय राज्यादेश सं०- 82, दिनांक- 25.09.2016 एवं आवंटनादेश सं०- 83, दिनांक- 25.09.2016 द्वारा ₹460.36099 लाख मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2015-16 में 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग मद की 30 प्रतिशत कर्णाकित/उपलब्ध राशि एवं 2016-2017 में 14वें वित्त आयोग की प्रथम किश्त एवं पंचम राज्य वित्त आयोग मद की प्रथम किश्त की 30 प्रतिशत कर्णाकित/उपलब्ध राशि के समतुल्य राज्य योजना से कुल ₹79.24893 लाख मात्र स्वीकृत एवं आवंटित की जा चुकी है।

4. वित्तीय वर्ष 2016-17 में 14वें वित्त आयोग मद की द्वितीय किश्त आवंटित की गयी है। इस राशि की 30 प्रतिशत एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटित होने वाले 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग मद में आवंटित होने वाले राशि के 30 प्रतिशत राशि के समतुल्य राज्य योजना की राशि स्तंभ- 9 के अनुरूप ₹62.22230 लाख (बासठ लाख बाईस हजार दो सौ तीस रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में विभागीय राज्यादेश सं०- 314, दिनांक- 25/3/17 के आलोक में निम्नवत आवंटित की जाती है:-

(राशि लाख में)

नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	सर्वे डाटा के अनुसार ऐसे परिवारों की संख्या जिनके पास पाइप लाईन से पानी का कनेक्शन उपलब्ध नहीं है।	तकनीकी/ प्रशासनिक अनुमोदन की राशि	वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में राज्य योजना मद से पूर्व में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2016-17 में 14वें वित्त आयोग के द्वितीय किश्त की राशि का 30 प्रतिशत राशि (नगर निकाय मद की राशि)	वित्तीय वर्ष 2016-17 में 14वें वित्त आयोग के द्वितीय किश्त की राशि का 30 प्रतिशत राशि के समतुल्य राज्य योजना से आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2017-18 में 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग मद में आवंटित होने वाली राशि का 30% राशि (अनुमानित)	वित्तीय वर्ष 2016-17 में 14वें वित्त आयोग के द्वितीय किश्त का 30 प्रतिशत राशि तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग मद में आवंटित होने वाली राशि का 30 प्रतिशत राशि के समतुल्य राज्य योजना से तत्काल आवंटित राशि (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
नगर पंचायत, जयनगर	नगर पंचायत, जयनगर शहरी पाइप जलापूर्ति योजना।	4368	460.36099	79.24893	10.39352	10.39352	51.82878	62.22230

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹62.22230 लाख (बासठ लाख बाईस हजार दो सौ तीस रु०) मात्र।

5. उक्त आवंटित राशि ₹62.22230 लाख (बासठ लाख बाईस हजार दो सौ तीस रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, जयनगर होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की

निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 423, दिनांक- 31.03.2016 एवं पत्रांक- 811, दिनांक- 12.08.2016 (प्रथम अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के उपरांत विभागीय संकल्प संख्या- 1287, दिनांक- 25.02.2016 की कंडिका- 5 (ii) के अनुरूप खोले गये खाते में राशि रखी जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में **A.C. विपत्र पर नहीं की जाएगी।**

6. उक्त आवंटित राशि ₹62.22230 लाख (बासठ लाख बाईस हजार दो सौ तीस रु०) मात्र की निकासी माँग सं०- 48 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2215- जलापूर्ति तथा सफाई- उप मुख्य शीर्ष 01- जल पूर्ति-लघु शीर्ष -193- नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता - उप शीर्ष 0101- पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- **P 2215011930101** राज्य योजना स्कीम कोड URB 50 67, विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों का निर्माण से की जाएगी।

7. राशि की निकासी के बाद टी० भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जायेगा। वित्त विभाग के परिपत्र सं०-1496/वि(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

8. क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा। राशि की निकासी के बाद टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ सरकार को अवगत कराया जायेगा।

9. योजना का कार्यान्वयन निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जायेगा :-

(i) योजना का कार्यान्वयन विभागीय राज्यादेश सं०- 82, दिनांक- 25.09.2016 के शर्तों के अधीन कराया जायेगा।

(ii) योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा तैयार किये गये एवं अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर किया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन हेतु संशोधित मार्गदर्शिका भी निर्गत किया जा चुका है। उक्त प्राक्कलन एवं संशोधित मार्गदर्शिका विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है, जिसकी सूचना विभागीय पत्रांक- 123, दिनांक- 11.01.2017 द्वारा सभी नगर निकायों एवं जिला शहरी विकास अभिकरणों को दिया जा चुका है। नगर निकाय द्वारा योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। योजना के संधारण के लिए अलग से दिशा-निर्देश निर्गत किया जायेगा।

(iii) नगर निकाय द्वारा प्रत्येक House Hold Connection देने के क्रम में मकान मालिक का नाम, पता, आधार नम्बर, मोबाईल नं० एवं तस्वीर अपने अभिलेख में रखने के अतिरिक्त उनसे एक प्रमाण पत्र भी लेना सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके घर में नल का जल उपलब्ध हो गया है। नल जल कनेक्शन से संबंधित सारी जानकारी विभाग द्वारा विकसित MIS पर Upload किया जायेगा।

(iv) योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।

(v) ऐसे नगर निकाय जहाँ जलापूर्ति हेतु विशिष्ट प्रकार की समस्या यथा- पथरीला इलाका, जल स्रोत में कठिनाई इत्यादि हो, वैसे नगर निकायों में बिहार राज्य जल पर्षद से तकनीकी सहायता प्राप्त कर योजनाओं का कार्यान्वयन किया जायेगा। आवश्यकतानुसार इसके लिए स्वीकृत राशि में अनुमान्य सीमा तक परिवर्तन भी किया जा सकता है।

(vi) राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(vii) उक्त राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जलापूर्ति योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही/की गई योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।

(viii) उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. विभागीय संकल्प संख्या-1287, दिनांक- 25.02.2016 के कंडिका- 06 के अनुरूप अनुश्रवण की व्यवस्था एवं कंडिका- 07 के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था की जायेगी।

13. योजना का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प संख्या- 1287, दिनांक- 25.02.2016 तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। आवंटित राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गई है।

14. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, मधुबनी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/जला०-01-21/2016 315

/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-25/3/17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल/ जिला पदाधिकारी, मधुबनी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, मधुबनी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-2, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

आनंद. सिंह

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-25/3/17

विषय:- “मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय” योजनान्तर्गत नगर पंचायत, जयनगर में हर घर नल का जल उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹460.36099 लाख मात्र में से नगर निकाय को राज्य योजना से अबतक विमुक्त राशि ₹79.24893 लाख मात्र के आवंटन के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2016-17 में 14वें वित्त आयोग के द्वितीय किश्त की विमुक्त राशि के 30 प्रतिशत के समतुल्य राज्य योजना की राशि ₹10.39352 लाख मात्र एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग मद में आवंटित होने वाली अनुमानित राशि के 30 प्रतिशत राशि के समतुल्य राज्य योजना की राशि ₹51.82878 लाख मात्र अर्थात् कुल ₹62.22230 लाख (बासठ लाख बाईस हजार दो सौ तीस रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने हेतु “मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना” प्रारंभ किया गया है। योजना के कार्यान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या- 1287, दिनांक- 25.02.2016 निर्गत किया गया है।

2. विभागीय संकल्प संख्या-1287, दिनांक- 25.02.2016 के कंडिका- 05 (i) के अनुसार नगर निकायों को “मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना” के अंतर्गत निम्नांकित स्रोतों से निधि प्राप्त होगी :-

- (i) 14वें वित्त आयोग की 30 प्रतिशत राशि (स्थानीय नगर निकायों का पूर्णतया हिस्सा)
- (ii) पंचम राज्य वित्त आयोग की 30 प्रतिशत राशि (स्थानीय नगर निकायों को पूर्णतया हिस्सा)
- (iii) हर घर नल जल निश्चय योजना अन्तर्गत उपर्युक्त क्रमांक- (i) और (ii) के योग के समतुल्य राशि, राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना से स्थानीय नगर निकायों को दी जाएगी।

lt

3. “मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय” योजनान्तर्गत नगर पंचायत, जयनगर में हर घर नल का जल उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभागीय राज्यादेश सं०- 82, दिनांक- 25.09.2016 एवं आवंटनादेश सं०- 83, दिनांक- 25.09.2016 द्वारा ₹460.36099 लाख मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2015-16 में 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग मद की 30 प्रतिशत कर्णांकित/उपलब्ध राशि एवं 2016-2017 में 14वें वित्त आयोग की प्रथम किश्त एवं पंचम राज्य वित्त आयोग मद की प्रथम किश्त की 30 प्रतिशत कर्णांकित/उपलब्ध राशि के समतुल्य राज्य योजना से कुल ₹79.24893 लाख मात्र स्वीकृत एवं आवंटित की जा चुकी है।

4. वित्तीय वर्ष 2016-17 में 14वें वित्त आयोग मद की द्वितीय किश्त आवंटित की गयी है। इस राशि की 30 प्रतिशत एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटित होने वाले 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग मद में आवंटित होने वाले राशि के 30 प्रतिशत राशि के समतुल्य राज्य योजना की राशि स्तंभ- 9 के अनुरूप ₹62.22230 लाख (बासठ लाख बाईस हजार दो सौ तीस रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)

नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	सर्वे डाटा के अनुसार ऐसे परिवारों की संख्या जिनके पास पाइप लाईन से पानी का कनेक्शन उपलब्ध नहीं है।	तकनीकी/ प्रशासनिक अनुमोदन की राशि	वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में राज्य योजना मद से पूर्व में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2016-17 में 14वें वित्त आयोग के द्वितीय किश्त की राशि का 30 प्रतिशत राशि (नगर निकाय मद की राशि)	वित्तीय वर्ष 2016-17 में 14वें वित्त आयोग के द्वितीय किश्त की राशि का 30 प्रतिशत राशि के समतुल्य राज्य योजना से स्वीकृत राशि	वित्तीय वर्ष 2017-18 में 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग मद में आवंटित होने वाली राशि का 30% राशि (अनुमानित)	वित्तीय वर्ष 2016-17 में 14वें वित्त आयोग के द्वितीय किश्त का 30 प्रतिशत राशि तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग मद में आवंटित होने वाली राशि का 30 प्रतिशत राशि के समतुल्य राज्य योजना से तत्काल स्वीकृत राशि (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
नगर पंचायत, जयनगर	नगर पंचायत, जयनगर शहरी पाइप जलापूर्ति योजना।	4368	460.36099	79.24893	10.39352	10.39352	51.82878	62.22230

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹62.22230 लाख (बासठ लाख बाईस हजार दो सौ तीस रु०) मात्र।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

18

5. उक्त स्वीकृत राशि ₹62.22230 लाख (बासठ लाख बाईस हजार दो सौ तीस रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, जयनगर होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 423, दिनांक- 31.03.2016 एवं पत्रांक- 811, दिनांक- 12.08.2016 (प्रथम अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के उपरांत विभागीय संकल्प संख्या- 1287, दिनांक- 25.02.2016 की कंडिका- 5 (ii) के अनुरूप खोले गये खाते में राशि रखी जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नहीं की जाएगी।

6. उक्त स्वीकृत राशि ₹62.22230 लाख (बासठ लाख बाईस हजार दो सौ तीस रु०) मात्र की निकासी माँग सं०- 48 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2215- जलापूर्ति तथा सफाई- उप मुख्य शीर्ष 01- जल पूर्ति-लघु शीर्ष -193- नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता - उप शीर्ष 0101- पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- P 2215011930101 राज्य योजना स्कीम कोड URB 50 67, विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों का निर्माण से की जाएगी।

7. राशि की निकासी के बाद टी० भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जायेगा। वित्त विभाग के परिपत्र सं०-1496/वि(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

8. क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा। राशि की निकासी के बाद टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ सरकार को अवगत कराया जायेगा।

9. योजना का कार्यान्वयन निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जायेगा :-

(i) योजना का कार्यान्वयन विभागीय राज्यादेश सं०- 82, दिनांक- 25.09.2016 के शर्तों के अधीन कराया जायेगा।

(ii) योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा तैयार किये गये एवं अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर किया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन हेतु संशोधित मार्गदर्शिका भी निर्गत किया जा चुका है। उक्त प्राक्कलन एवं संशोधित मार्गदर्शिका विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है, जिसकी सूचना विभागीय पत्रांक- 123, दिनांक- 11.01.2017 द्वारा सभी नगर निकायों एवं जिला शहरी विकास अभिकरणों को दिया जा



चुका है। नगर निकाय द्वारा योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। योजना के संधारण के लिए अलग से दिशा-निर्देश निर्गत किया जायेगा।

(iii) नगर निकाय द्वारा प्रत्येक House Hold Connection देने के क्रम में मकान मालिक का नाम, पता, आधार नम्बर, मोबाईल नं० एवं तस्वीर अपने अभिलेख में रखने के अतिरिक्त उनसे एक प्रमाण पत्र भी लेना सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके घर में नल का जल उपलब्ध हो गया है। नल जल कनेक्शन से संबंधित सारी जानकारी विभाग द्वारा विकसित MIS पर Upload किया जायेगा।

(iv) योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।

(v) ऐसे नगर निकाय जहाँ जलापूर्ति हेतु विशिष्ट प्रकार की समस्या यथा- पथरीला इलाका, जल स्रोत में कठिनाई इत्यादि हो, वैसे नगर निकायों में बिहार राज्य जल पर्षद से तकनीकी सहायता प्राप्त कर योजनाओं का कार्यान्वयन किया जायेगा। आवश्यकतानुसार इसके लिए स्वीकृत राशि में अनुमान्य सीमा तक परिवर्तन भी किया जा सकता है।

(vi) राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवदेन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(vii) उक्त राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जलापूर्ति योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही/की गई योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।

(viii) उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. विभागीय संकल्प संख्या-1287, दिनांक- 25.02.2016 के कंडिका- 06 के अनुरूप अनुश्रवण की व्यवस्था एवं कंडिका- 07 के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था की जायेगी।

13. योजना का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प संख्या- 1287, दिनांक- 25.02.2016 तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। आवंटित राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गई है।

14. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब/जला०-01-63/2016 के पृष्ठ सं०-11/टि० पर दिनांक- 20.03.2017 को प्राप्त है एवं सक्षम प्रधिकार का अनुमोदन संचिका संख्या-2ब/जला०-01-21/2016 के पृष्ठ सं०-15/टि० पर दिनांक- 24.03.2017 को प्राप्त है ।

15. इसकी सूचना प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, मधुबनी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, जयनगर/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/जला०-01-21/2016 314 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 25-3-17

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, मधुबनी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, जयनगर/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, मधुबनी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-2, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

आप्त. 17